Supreme Court judgment which banned fisheries in the coastal area. Even sweet water fishery and salt water fishery is being done apart from prawn cultivation. By that, fishermen who are living in that area are very much affected. Especially, the farmers who are doing cultivation by having fisheries in that area are also affected. So, I am a party to it. But in other countries like Phillippines and Taiwan, it is being allowed, it is being done. What measures are being taken by the Government, the Ministry of Agriculture, to protect the farming community who are into fishery and prawn cultivation, from the ban imposed by the Supreme Court?

SHRI CHATURANAN MISHRA: As far as the Supreme Court judgment is concerned, I have asked my Ministry to examine it and advise me what can be done. A Supreme Court judgment is a Supreme Court judgment. If one day they say that my oath is illegal, I will immediately go out of this. So it is up to them. I cannot say anything.

SHRI V. NARAYANASAMY: No, no, what is the alternative proposal you have for the farmers? Don't escape saying that it is a Supreme Court judgment. The farmers have to be protected.

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, no, I must also protect. But I cannot go with lathis to protect them. My Ministry is examining it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman Sir, this is an irresponsible answer. Sir, I seek your protection.

MR. CHAIRMAN: Please listen to the Minister. Let the Minister answer.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Minister kindly answer responsibly.

SHRI CHATURANAN MISHRA: The matter is being examined by my Ministry. I have said in the first sentence itself. How can I say off hand that the Supreme Court ruling will not be applicable. I cannot say this. I have said that the ruling is supreme, we all abide by that and the matter is under examination by the Ministry and the hon. Member should also suggest something because it is a very big thing that has come up. So we will discuss it and do what is necessary.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Mr. Chairman, Sir, Andhra Pradesh is having a vast coastal area with River Godavari, River Krishna, River Pennar and its tributaries joining the Bay of Bengal. In these coastal lines, thousands of fishermen go into the sea for fishing. Ten thousand tonnes of fish catch is there. But they are not having any fishing sites, fishing jetties.

According to the hon. Minister's reply, 18,200 tonnes of catch is there in Krishnapatnam. More than 3,000 fishermen are employed there. In Chinnagollapalem of Krishna district, more than 15,000 tonnes of catch is there. About 6,000 fishermen are also employed. I want to know from the hon. Minister when he is going to take up these projects.

SHRI CHATURANAN MISHRA: What I have said is about the potentiality. They are not yet employed. It is only the estimated employment potential.

SHRI YERRA NAYARANASWAMY: They are already in the profession.

SHRI CHATURANAN MISHRA: But they are not yet employed. The question of beneficiaries will arise only when the schemes are finalised and implemented. As such, they are not yet employed. I am awaiting suitable schemes from the State Government. As soon as we receive the schemes from the State Government, we will do the needful.

MR. CHAIRMAN: Question No. 425.

Subsidy and Financial assistance to the farmers for purchasing small Tractors

*425. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware

that the requisite subsidy and financial assistance is not being given to the farmers for purchasing small tractors under the Centrally sponsored programme launched by Government and despite the recent announcement made by Prime Minister in this regard throughout the country and particularly in Gujarat;

(b) if so, whether Government have conducted any survey to find out the reasons; and

(c) the remedial measures taken/proposed to be taken to enable the farmers to purchase small tractors?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) It will not be correct to say that the benefit of subsidy under the Scheme, "Promotion of Agricultural Mechanisation amongst Small Farmers" is not being passed on to small farmers. During the 8th Plan period, the benefit of subsidy has been extended to about 4170 farmers in the country including 309 farmers in the State of Gujarat.

(b) No State Government has sent any complaints or suggestions. So there is no need of conducting any survey.

(c) The implementation of the Scheme is being monitored very closely and the State Governments are being persuaded to extend the benefits of the Scheme to the maximum number of farmers.

श्री अहमद पटेल: मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि गुजरात में 309 ट्रैक्टरों के लिए राज्य सहायता प्रदान की गई है, जबकि मेरे 13 दिसंबर, 1996 के प्रश्न संख्या 2356 में यह कहा गया, है कि वर्ष 1992-93 में 103, 1993-94 में 206, 1995-96 में 138 और 1996-97 में 254 ट्रैक्टरों पर, कुल योग बनता है 701 पर यह राज्य सहायता प्रदान की गई। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कौन सा आंकड़ा सही है 309 का या 701 का? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं, जो आपने अपने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोई कम्पलेंट या कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन क्या किसानों के तरफ से आपके पास कोई कम्पलेंट आई है कि अब तक उनको छोटे ट्रेक्टरों पर सबसिडी नहीं मिल रही है? अभी कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है? उनमें से कितने लोगों को राज्य सहायता मिल गई है? जो बाकी लोगों को नहीं मिली, उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? और, राज्य सहायता सही समय पर, जरूरत के मुताबिक छोटे किसानों को उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, जहां तक कंपलेंट का है, तो डायरेक्टली कोई कम्पलेंट मेरे पास नहीं आई है। वैसे कुछ जगहों पर मैं गया तो लोगों ने बताया कि इसमें दिक्कतें आ रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक। हमारे साथ दिक्कत यह है कि एक तो फंड का बहुत कम एलोटमेंट हुआ है और जो हुआ है उसका लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। गुजरात के लिए भी यही बात है। इसीलिए मैंने सभी आंकड़े आपके पास दे दिए हैं। अगर सरकार खर्चा न करे, तब तो फिर हमको पैसा मिलेगा नहीं। इसलिए अगर आप राज्य सरकारों को प्रभावित कर सकें वह खर्चा करने के लिए, तभी तो हम ज्यादा राशि के बारे में कर सकते हैं। हमारे पास में कुछ साधन हैं, बहुत तो नहीं हैं, कुछ साधन हैं, करीब सात करोड़ रुपया है। अगर राज्य सरकार सब खर्चा करे तो हम दे देंगे और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो हम असमर्थ हैं।

श्री अहमद पटेल: मान्यवर, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह जो स्कीम गवर्नमेंट ने एनाउन्स की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जो स्कीम है उसके मुताबिक 30 प्रतिशत सबसिडी या राज्य सहायता दी जाती है, लेकिन उस पर यह शर्त लगाई गई है कि 30,000/- रुपए से अधिक की राज्य सहायता नहीं होगी। आजकल जो छोटा ट्रैक्टर है वह भी डेढ़ लाख से कम की राशि में नहीं आता। तो मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह जो राज्य सहायता की राशि है 30 प्रतिशत या 30,000/-, इसको बढ़ाकर जो असली कीमत है छोटे ट्रैक्टर की उसके बराबर करने का कोई प्रावधान करने के बारे में आप सोच रहे हैं या नहीं?

श्री चतुरानन मिश्र: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें भी औचित्य है सही दिशा में। अब सबसिडी, बढ़ाएंगे, यह तो उतना संभव नहीं है सरकार के लिए। एक बात जरूर हम सोच रहे हैं कि उसको फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट देने का,

लिंकअप का कुछ किया जाए ताकि उनको पैसा मिल सके। इस बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यह हमारे मंत्रालय का नहीं है। फिर भी हमने वित्त मंत्री को लिखा है कि इतनी राशि की जरूरत होगी। एक एस्टीमेट आया है कि 75 से 80 हजार के बीच लोगों को यह ट्रेक्टर चाहिए, छोटा ट्रेक्टर। उसके मुताबिक तो बहुत ज्यादा राशि चाहिए। मैंने एक पत्र दिया है, लेकिन अभी जिस मुद्दे को आपने उठाया है, उसमें हम यही कह सकते हैं कि क्रेडिट की व्यवस्था हो, क्रेडिट से उसको लिंकअप किया जाए, इसी बारे में मैं सोच रहा हूं।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said in his statement, "It will not be correct to say that the benefit of subsidy under the scheme, 'Promotion of Agricultural Modernisation amongst Small Farmers', is not being passed on to small farmers". Now the amount is fixed. In the present Budget, the Finance Minister has stated that the money allotted under the present scheme is extended to other sections of farmers also. I would like to know from the hon. Minister whether this change in policy has affected the interests of small farmers and, if so, what steps the Ministry of Agriculture intends to take to protect the interests of small farmers.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I have no information that small and marginal farmers are being discriminated against. They have to form groups or cooperative societies, etc. or remain individual farmers. Matching grants are available. That can be given to them. My thinking is that they do not have sufficient money and subsidy with which they can purchase small tractors. That is not available to small and marginal farmers. That is why I am thinking of linking it with credit and there will be no diversion of funds also. My complaint is that the State Governments are not utilising even the small sums that have been given to them. This is the main point.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: श्रीमन्, मंत्री जी ने आंकड़ा दिया है कि 4170 फार्मर्स को इसका लाभ मिला है। क्या कोई सिस्टम है जिसमें से छोटे ट्रैक्टर कुल कितने बेचे गए इसका हिसाब मंत्रालय के पास आता है, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कितने क्लेमेंट थे जिनको छोटे ट्रेक्टर बेचे गए, उसमें से केवल इतने फार्मर्स को सब्सिडी दी गई। जब तक यह दोनों कम्पेरेटिव फिगर्स नहीं है तब तक हम कैसे कह सकते है कि जो सब्सिडी का लाभ हम किसानों को देना चाहते है वह उनको उपलब्ध है या फाइनेंसेज की कमी की वजह से यह लाभ उनको नहीं पहुंचा है।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, क्लेमेंट की लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, वह तो राज्य सरकार के पास ही होगी। उसमें बहुत टाईम लगेगा। लेकिन आप जो राशि की बात बता रहे है, मैंने कई बार रिपीट किया कि जो छोटी सी राशि उपलब्ध कराई गई है वह उसे खर्च भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने उदाहरण आपके सामने दे दिया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: फिर तो इस स्कीम का फायदा नहीं हुआ है।

श्री चतुरानन मिश्र: फायदा हुआ या नहीं, यह तो अभी इसी स्टेज में है। इस साल तो हमने दिया है और अगर हम तुरन्त कह दें कि फायदा हो गया है, साल भी नहीं बीता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: उसका प्रोसीजर ही शुरू नहीं हुआ है तो फायदा कैसे होगा।

श्री चतुरानन मिश्र: गाईड लाइंस चली गई हैं, एमाउंट चला गया है। उनको देना है। यह तो उनका काम है। साल के बाद तो हम सोचेंगे कि यह खर्चा हुआ या नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी। अभी तो प्रोसस में है, अभी कैसे कहें। इसी साल तो शुरू हुआ है।

श्री राधाकिशन मालवीय: माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली कि 30 प्रतिशत राज्य सहायता सिर्फ छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं—यह प्रश्न गुजरात के संबंध में है, कि गुजरात के अलावा क्या पूरे देश में सरकार ने कोई एक टारगेट फिक्स किया है कि हम गुजरात में इतनी सबसिडी के इतने ट्रैक्टर देंगे या तमिलनाडु या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में इतने ट्रैक्टर देंगे। हमारे देश में कुछ स्टेट बहुत छोटे है, कुछ स्टेट बड़े हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यवार यह सबसिडी देने का कोई टारगेट फिक्स किया है?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मैंने राज्यवार चार्ट माननीय सदस्य को दे दिया है।

श्री राधाकिशन मालवीय: हमको नहीं मिला है।

श्री सुंदर सिंह भंडारी: एक ही कागज मिला है, चार्ट नहीं मिला है।

श्री राधाकिशन मालवीय: चार्ट भी नहीं मिला है और उसकी कोई जानकारी भी हमें नहीं है, अगर वह मेहरबानी करके हमें उपलब्ध करवा दें तो अच्छा रहेगा।

MR. CHAIRMAN: No chart is there.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I lay a copy of this chart on the Table of the House. I assure the House that copies of the chart will be given to hon. Members; otherwise, reading it here will take a lot of time. I am not reading it. I regret that, as decided, it has not been supplied by my office; may be, it has been laid, but I will get you copies of it.

श्री एस० एस० सुरजेवाला: महोदय, यह जो ईशू है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में 95 प्रतिशत जो किसान हैं, वह स्मॉल या मार्जनल किसान हैं और जो फिगर मंत्री महोदय दे रहे हैं, वह तो किसी काम के भी लगने वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण ईशू यह है कि देश में एक रैकेट है which is operating between manufactures and banks. मंत्री जी ने कहा कि हम बैंकों को बोलेंगे, बैंक ऋण देंगे। महोदय, यह बड़ा जबर्दस्त रैकेट है क्योंकि पिछले 10 साल में ट्रैक्टरें की कीमतें 500 गुणा बढ़ गयी है और आज फार्मर्स को बैंक, इन्क्लूडिंग कोआपरेटिव बैंक, वह भी दोषी है, सरकार द्वारा चलाए गये कोऑपरेटिव बैंक भी दोषी है, वह छोटे-छोटे किसानों को 3-3 लाख का ट्रैक्टर देते हैं, उसमें से जबर्दस्त रुपया बीच में से बैंक खाते हैं, उनके कर्मचारी खाते हैं। ऐसे में किसान की जमीन की कुर्की हो जाती है, किसान की जमीन नीलाम हो जाती है। यह बड़ी भारी मात्रा में देश में ऑपरेट हो रहा है इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो मैनुफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो ट्रैक्टर बनाते हैं, उनके लिए क्या आप कोई प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप देखेंगे कि एक ट्रैक्टर की बिल्डिंग पर कैसे तीन से चार लाख रुपये खर्चा आता है जब कि ट्रैक्टर में एक इंजिन और चार पहिए होते हैं, उसमें कोई बॉडी या सफोस्टिकेटिड चीज नहीं होती है? बैंक जिस तरह से किसानों को लूट रहे हैं, उससे किसानों की जमीनें जाने लगी है। क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाएगी और कोई आश्वासन देगी और क्या मंत्री महोदय इस संबंध में देखेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, जहां तक कंट्रोल लगाने की बात है तो जो भी कंट्रोल था, वह भी मर जा रहा है, और अगर नया कंट्रोल उसमें लगाएंगे तो इसमें तो गड़बड़ मालूम हो रही है लेकिन प्राइस में जो ऐब्नॉर्मल बढ़त हो रहा है, उसकी जांच हम करवाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: बैंकों में एक-एक कम्पनी अपना कब्जा रख रही है और दूसरी कम्पनी को अंदर नहीं आने दे रही इसलिए दाम कम नहीं हो रहे हैं।

श्री राधाकिशन मालवीय: बैंक और कम्पनियों की मिली भगत है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: अब आप जवाब दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: हम वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करवा देंगे कि प्राइस में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है लेकिन अगर आप कहते हैं कि दूसरी कम्पनी की रोक लगा दी जाती है तो कानूनन ऐसी कोई रोक नहीं है।

श्री राधाकिशन मालवीय: ऐसी रोक है। बैंकों में वहां पर रजिस्टर्ड लिस्ट है कि आप यह ट्रैक्टर इस डीलर से खरीदेंगे, ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा वहां है। वहां बैंक वाले यह कहते हैं कि आपको फलानां कम्पनी का ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, चाहे वह कोई कम्पनी हो या कोई दूसरी कम्पनी हो। वह कहते हैं कि आपको यह ही ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। किसानों को इसमें खुली छूट नहीं है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: किसानों को इस संबंध में च्वाइस भी नहीं है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय: बैंकों का इसमें कमीशन बना हुआ है, कर्मचारियों का भी कमीशन बना हुआ है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खेल हो रहा है।

श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला: बड़े भारी पैमाने पर लूट हो रही है।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर कुछ फैक्ट्स के साथ आप हमारे पास भेज दें तो हम इसकी जांच करवाएंगे Twenty models of tractors are available. एक या दो कम्पनियों के ही नहीं हैं। इसको लोग अवेल कर सकते हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कुछ भी इनफॉर्मेशन है जिसमें सरकार की तरफ से कोई बाधा है तो हम उस पर पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं कि वह उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: 20 ही नहीं, 40 मॉडल तैयार हैं, वह मार्केट में हैं। वह अगर मार्केट में आना चाहें तो रूरल बैंक वाले सिर्फ दो-तीन को पहचानते हैं, बाकी को नहीं पहचानते।

MR. CHARIMAN: The question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

औषधों के मूल्यों को नियंत्रित करना

*421. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधों के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कारगर व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था प्रपुंज औषधों के लिये की गई है अथवा खुदरा उपयोग के लिये बेचे जाने वाले औषधों के मूल्यों के लिये की गई है;

(ग) क्या खुदरा रूप से उपयोग में लाये जाने वाले औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु स्थापित प्रबंध तंत्र (प्राधिकरण) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जीवन-रक्षक औषधों के मूल्यों में वृद्धि हेतु वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) सितम्बर, 1994 में संशोधित औषध नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसार सरकार चयनात्मक आधार पर प्रपुंज औषधों तथा उन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों का नियंत्रण करती है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार देश में बनाए जाने वाले प्रपुंज औषधों तथा जो मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं, के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अधिकतम बिक्री मूल्य नियत किया जाता है और उसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। इन प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोगों का मूल्य इनके उत्पादकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा आधार पर नियत किया जाता है। इन मूल्यों के बारे में संबंधित आवेदकों को सूचित किया जाता है अथवा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है तथा इनके बैंक को सीलिंग पैक घोषित किया जाता है जिसके मूल्यों का अनुपालन सभी के द्वारा किया जाना है। मूल्य निर्धारण/संशोधन की प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) का गठन किया जा रहा है और वह निकट भविष्य में कार्य करना शुरू कर देगा। 1992-93 के दौरान जो औषध मूल्य नियंत्रण के अधीन रहीं तथा जो डी पी सी ओ 1995 के अनुसार भी मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं उनकी मूल्य वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।